## **न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक**

पीठासीन अधिकारी— सुखराम खोखर  
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 25/2020/प्रा.पत्र/2020 | 20.03.2020 | 03.12.2020 |

सत्यनारायण गुर्जर,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

....... प्रार्थी

बनाम

1—श्री बाबूलाल गोयल पुत्र श्री फूलचन्द गोयल निवासी शिवाजी नगर कम्पू टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शकंर नमकीन एण्ड जनरल स्टोर बडा कुऑ देवली रोड टोक जिला टोंक  
2— मैसर्स शकंर नमकीन एण्ड जनरल स्टोर बडा कुऑ देवली रोड टोक जिला टोंक  
3—श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री सूरजमल खण्डेलवाल निवासी 3/262 सेक्टर नं. 3, विधाधर नगर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सीज जी 44,45 धनश्री टॉवर प्रथम विधाधर नगर जयपुर  
4— मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सीज जी 44,45 धनश्री टॉवर प्रथम विधाधर नगर जयपुर

...... अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)**

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।  
2—अप्रार्थीगण उपस्थित

**:—निर्णय—:** **दिनांक 03.12.2020**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2019 को समय 4.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शकर नमकीन एण्ड जनरल स्टोर बडा कुऑ देवली रोड टोक जिला टोंक पर पहुंचा। विकेता की हैसियत से श्री बाबूलाल गोयल पुत्र श्री फूलचन्द गोयल निवासी शिवाजी नगर कम्पू टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शकंर नमकीन एण्ड जनरल स्टोर बडा कुऑ देवली रोड टोक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **सोन पपडी (सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** जिसके बेच नं. ... जे 89 व पैकिंग की दिनांक 11 अक्टूबर 2019 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण ... मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री बाबूलाल गोयल को ... के सामने ... नं. 5ए में वास्ते नमूना ...य करने

Signature Not Verified  
Digitally signed by Murari Lal Sharma  
Date: 2021.04.07 16:27:56 IST  
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

1135

Scanned by CamScanner

हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता बाबूलाल गोयल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे लगभग 48 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 450–450ग्राम मूल पैक **सोन पपडी (सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 4 मूल पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री बाबूलाल गोयल को रू0 500/–अक्षरे पांच सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सोन पपडी (सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 450–450 ग्राम पैक को एक–एक नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भागं पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं कमांक I–2381 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2381 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. बाबूलाल गोयल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सीज जी 44,45 धनश्री टॉवर प्रथम विधाधर नगर जयपुर को पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी उक्त खाघ पदार्थ का वारन्टी बिल चाहर गया जो आज दिनांक तक अपेक्षित है। अतः वारन्टी बिल के अभाव मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत उक्त खाघ पदार्थ के निर्माता व पैकिंगकर्ता की समस्त जिम्मेदारी अन्तिम रूप से माना जाना उचित है।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खा.सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2520 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वा0 प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2581/एक्ट/2019/2118 दिनांक 18.11.2019 अनुसार बाबूलाल गोयल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सोन पपडी (सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded)का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **सोन पपडी (सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (पठित धारा 49) में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:27:56 IST
Reason: Self Attested

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

1136 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सोन पपडी (सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोन पपडी (सदाबहार बीकाजी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री बाबूलाल गोयल पुत्र श्री फूलचन्द गोयल निवासी शिवाजी नगर कम्पू टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शकंर नमकीन एण्ड जनरल स्टोर बडा कुऑ देवली रोड टोक जिला टोंकपर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री सूरजमल खण्डेलवाल निवासी 3/262 सेक्टर नं. 3, विधाधर नगर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सीज जी 44,45 धनश्री टॉवर प्रथम विधाधर नगर जयपुर पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0)आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:27:56 IST
Reason: SelfAttested

1137

Scanned by CamScanner